

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर छ0ग0

आदेश

क्रमांक / 2947 / शिकायत-जांच / 2025-26

बिलासपुर, दिनांक 11/04/2025.

कार्यालयीन पत्र क्रं.1425/शिकायत-जांच/2025 बिलासपुर दिनांक 06.02.2025 के माध्यम से श्रीमती सुषमा पाण्डेय, सहायक ग्रेड-3 कार्यालय प्राचार्य शा0हाई स्कूल जरहाभांठा (सिंधी कालोनी) बिलासपुर से बिना संस्था प्रमुख के अनुमति के वरिष्ठ कार्यालय में अपनी संस्था के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत करने व समझाईस दिये जाने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों व कार्यालय की शिकायत करने के संबंध में स्पष्टीकरण चाहा गया था । श्रीमती पाण्डेय सहायक ग्रेड-3 से प्राप्त जवाब का परीक्षण किया गया जो संतोषप्रद न होने की स्थिति में एवं उनका उपरोक्तानुसार कृत्य स्वेच्छाचारिता व सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।

श्रीमती सुषमा पाण्डेय सहायक ग्रेड-3 का निलंबन काल में मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बिल्हा में रहेगा एवं उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।

  
(अनिल तिवारी)

जिला शिक्षा अधिकारी,  
बिलासपुर छ0ग0

पृ0 क्रमांक / 2948 / शिकायत-जांच / 2025-26  
प्रतिलिपि-

बिलासपुर, दिनांक 11/04/2025.

- 1/ संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
- 2/ कलेक्टर बिलासपुर जिला बिलासपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
- 3/ संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
- 4/ विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बिल्हा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- 5/ प्राचार्य शा0हाई स्कूल जरहाभांठा (सिंधी कालोनी) बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- 6/ कार्यालयीन मु0लि0/स्थापना खण्ड को सूचनार्थ ।
- 7/ संबंधित श्रीमती सुषमा पाण्डेय सहायक ग्रेड-3 को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

  
जिला शिक्षा अधिकारी,  
बिलासपुर छ0ग0

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर छ0ग0

आदेश

क्रमांक 2949 / शिकायत-जांच / 2025-26

बिलासपुर, दिनांक 11/04/2025.

कार्यालयीन पत्र क्रं.1425/शिकायत-जांच/2025 बिलासपुर दिनांक 06.02.2025 के माध्यम से श्रीमती गीता राही भृत्य कार्यालय प्राचार्य शा0हाई स्कूल जरहाभांठा (सिंधी कालोनी) बिलासपुर से बिना संस्था प्रमुख के अनुमति के वरिष्ठ कार्यालय में अपनी संस्था के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत करने व समझाईस दिये जाने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों व कार्यालय की शिकायत करने के संबंध में स्पष्टीकरण चाहा गया था । श्रीमती गीता राही, भृत्य से प्राप्त जवाब का परीक्षण किया गया जो संतोषप्रद न होने की स्थिति में एवं उनका उपरोक्तानुसार कृत्य स्वेच्छाचारिता व सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।

श्रीमती गीता राही, भृत्य का निलंबन काल में मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर में रहेगा एवं उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।

(अनिल तिवारी)

जिला शिक्षा अधिकारी,  
बिलासपुर छ0ग0

पृ0 क्रमांक 2950 / शिकायत-जांच / 2025-26  
प्रतिलिपि-

बिलासपुर, दिनांक 11/04/2025.

- 1/ संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
- 2/ कलेक्टर बिलासपुर जिला बिलासपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
- 3/ संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
- 4/ प्राचार्य शा0हाई स्कूल जरहाभांठा (सिंधी कालोनी) बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- 5/ कार्यालयीन मु0लि0/स्थापना खण्ड को सूचनार्थ ।
- 6/ संबंधित श्रीमती गीता राही, भृत्य को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

जिला शिक्षा अधिकारी,  
बिलासपुर छ0ग0

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर छ0ग0

आदेश

क्रमांक / 2951 / शिकायत-जांच / 2025-26

बिलासपुर, दिनांक 11/04/2025.

कार्यालयीन पत्र क्रं:1425/शिकायत-जांच/2025 बिलासपुर दिनांक 06.02.2025 के माध्यम से श्रीमती रश्मि विश्वकर्मा, भृत्य कार्यालय प्राचार्य शा0हाई स्कूल जरहाभांठा (सिंधी कालोनी) बिलासपुर से बिना संस्था प्रमुख के अनुमति के वरिष्ठ कार्यालय में अपनी संस्था के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत करने व समझाईस दिये जाने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों व कार्यालय की शिकायत करने के संबंध में स्पष्टीकरण चाहा गया था । श्रीमती रश्मि विश्वकर्मा भृत्य से प्राप्त जवाब का परीक्षण किया गया जो संतोषप्रद न होने की स्थिति में एवं उनका उपरोक्तानुसार कृत्य स्वेच्छाचारिता व सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।

श्रीमती रश्मि विश्वकर्मा भृत्य का निलंबन काल में मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर में रहेगा एवं उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।

  
(अनिल तिवारी)

जिला शिक्षा अधिकारी,  
बिलासपुर छ0ग0

पृ0 क्रमांक / 2952 / शिकायत-जांच / 2025-26  
प्रतिलिपि-

बिलासपुर, दिनांक 11/04/2025.

- 1/ संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
- 2/ कलेक्टर बिलासपुर जिला बिलासपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
- 3/ संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
- 4/ प्राचार्य शा0हाई स्कूल जरहाभांठा (सिंधी कालोनी) बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- 5/ कार्यालयीन मु0लि0/स्थापना खण्ड को सूचनार्थ ।
- 6/ संबंधित श्रीमती रश्मि विश्वकर्मा भृत्य को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

  
जिला शिक्षा अधिकारी,  
बिलासपुर छ0ग0